मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग कार्यालय क्र. ०६

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे भवन, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ०८,
काशिमीरा पोलीस स्टेशनच्या मागे, काशिमीरा, ता.जि.ठाणे.

जा.क्र.मनपा/प्र.क्र.०६/ ७६८ /२०२६-२७ **दि. १५/०६/२०२६**

प्रति,
जनसंपर्क अधिकारी
माहिती व जनसंपर्क विभाग
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

विषय :- वृत्तपत्रांत प्रसिध्द झालेल्या बातमी/बातम्यांचा खुलासा सादर करणेबाबत.
संदर्भ :- १) आपलेकडील जा.क्र.मनपा/मावज/खुला/४२/२०२६-२७ दि. २५/०५/२०२६ रोजीचे पत्र.
२) आपलेकडील जा.क्र.मनपा/मावज/खुला/४२/२०२६-२७ दि. २५/०५/२०२६ रोजीचे पत्र.

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार वृत्तपत्रांत प्रसध्दि झालेल्या बातमी/बातम्यांचा खुलासा सादर करणेबाबत संदर्भिय पत्र क्र. ०१ व ०२ अन्वये पत्र प्राप्त झालेले आहेत. त्या नुसार खालील प्रमाणे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

सदरचे बांधकाम हे मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. ०६ च्या कार्यक्षेत्रातील मौजे चेना ता.जि.ठाणे सर्व्हे क्र. १२/२ सर्व्हे क्र. १३/२/१ ह्या जागेवर लोखंड व अँगल पत्राच्या सहाय्याने कंपाऊंड उभारल्याचे दि. ३१/१२/२०२४ रोजी सहाय्यक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी प्रभाग समिती क्र. ०६ यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी तात्काळ त्याच दिवशी जा.क्र.मनपा/प्र.क्र.०६/२१६८/२०२४-२५ दि. ३१/१२/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये बांधकाम परवानगीचे कागदपत्र सादर करणे करीता कळविले होते. परंतु संबंधितांनी ७/१२ ची प्रत सादर केली असुन परवानगीबाबतची कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र सादर केल्याचे कार्यालयीन अभिलेखात आढळून येत नाही.

दि. ०९/०५/२०२६ व दि. १५/०५/२०२६ ह्या कालावधीत ठाणे की आवाज ह्या साप्ताहिक वृत्तपत्रात बातमी प्रसिध्द झालेली आहे. (सोबत वृत्तपत्राची छायांकित प्रत सोबत जोडली आहे.) तसेच व्हॉट्स ॲपवर तक्रार आल्याने दि. १९/०५/२०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्त, प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र. ०६ व कनिष्ठ अभियंता प्रभाग समिती क्र. ०६ तसेच मनुष्यबळसह स्थळपाहणी करुन मोजमाप घेतले असता खालीप्रमाणे वस्तुस्थिती आढळुन आली आहे.

१) २१.००मी X ८.००मी मोजमापात एकुण आर.सी.सी. (तळ+१) ०८ रुमचे बांधकाम.
२) ४४.००मी X ८.००मी मोजमापात एकुण आर.सी.सी. (तळ+१) १८ रुमचे बांधकाम.
३) ३५.००मी X ८.००मी मोजमापात एकुण आर.सी.सी. (तळ+१) १६ रुमचे बांधकाम.

अशा स्वरुपाचे आर.सी.सी. बांधकाम आढळून आले. त्यानुसार परवानगीची मुळ कागदपत्रे सादर करणेकरीता पत्र देण्यात आलेले आहे. (सोबत पत्राची छायांकित प्रत जोडत आहे.)

तसेच दि. १९/०५/२०२५ रोजी बिट निरीक्षक यांनी प्रभाग कार्यालय क्र. ०६ अंतर्गत चेना गाव, बस स्टॉप मागे, घोडबंदर रोड, मिरा रोड (पू.) या ठिकाणी तळ+१ असे ४२ घरे तसेच महामार्गालगत पत्रा उभा केल्याचे व माती भराव केल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. (अहवालाची प्रत सोबत जोडत आहे.)

दि. १३/०४/२०२५ रोजीच्या सातबाऱ्यावरील नावे ही अर्जदारांचे असुन त्यामध्ये समक्ष प्राधिकरणाच्या पुर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरण बंदी- आदिवासी खातेदारांच्या जमीन- महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ अ प्रमाणे (२१५) व अनधिकृत गौणखनिज दंडनिय रुपये २८,०९,०००/- चा बोजा अशी नोंद सातबाऱ्यात आहे.

तसेच दि. २०/०५/२०२६ रोजी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील शाखा अभियंता व सहा. आयुक्त प्रभाग कार्यालय क्र. ०६, मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांनी एकत्रित स्थळपाहणी केली असुन स्थळपाहणी दरम्यान हॉटेल फाऊंटन ते गायमुख या घोडबंदर रस्तावरील चेणा बस स्टॉप लगत झालेली बांधकामे ही सकृतदर्शनी महापालिकेचे नियुक्त खाजगी सर्व्हेअर यांचेकडील नकाशानुसार मौजे-चेणे सर्व्हे क्र. १२/२ व १३/२/१ या जागेत असल्याचे दिसुन येते.

सदर जागेत मिरा भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत नकाशे मंजुरी व बांधकाम परवानगी दिल्याची नोंद आढळुन येत नाही.

मिरा भाईंदर शहराची विकास योजन (वगळेला भाग सोडुन) दि. १४/०५/१९९७ रोजी मंजुर झालेली असुन दि. १५/०७/१९९७ पासुन अमंलात आलेली आहे. वगळलेल्या भागाची विकास योजना दि. २५/०८/२००० रोजी मंजुर झालेली असुन दि. १५/१०/२००० पासुन अंमलात आलेली होती. सदर मंजुर विकास योजनेनुसार मौजे- चेणे सर्व्हे.क्र. १२ व १३ हि जागा ना विकास क्षेत्रात (No development zone) मध्ये येत आहे.

मिरा भाईंदर शहराची सुधारीत प्रारुप विकास योजना अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये मंजुरीसाठी शासनास दि. २५/१०/२०२३ सादर करण्यात आली असता सदरची सुधारीत प्रारुप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये दि. १६/०४/२०२६ रोजी सारभुत स्वरुपाचे बदल (EP) वगळून शासनामार्फत मुजूर मंजूर करण्यात आली आहे.

सदरच्या सुधारित विकास योजनेनुसार उपरोक्त जागा सारभुत स्वरुपाचे बदल (EP) या मध्ये येत असुन त्यानुसार मौजे चेणे स.क्र. १२ व १३ ही जागा नाविकास क्षेत्रात (No Development Zone) मध्ये तसेच कांदळवनात (Mangroves) तसेच भागश: High Tide Line व Intertidal मध्ये दर्शविलेली आहे.

केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभाग यांचेकडील दि. ०५/१२/२०१६ च्या अधिसूचनेनुसार सदर जमिन ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या ESZ मध्ये असून सदर अधिसुचनेच्या अनुषंगाने शासन महसुल विभागाने दि. २०/०३/२०२६ च्या शासन निर्णयानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा झोनल मास्टर प्लान मंजुर केला असून सदर मंजुर झोनल मास्टर प्लान नुसार मौजे चेणे. स.क्र.१२, १३ ही जागा ESZ-II या प्रकारामध्ये येत आहे. तसेच CRZ अधिसुचना २०१९ किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आरखडा (CZMP) नुसार सदरची जागा CRZ-१A या मध्ये येत आहे. (सोबत नगररचना विभागाचे पत्र)

तरी वरीलप्रमाणे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करीत आहे.

(भरत सोनारे)
प्रभाग अधिकारी तथा पदनिर्देशित अधिकारी
प्रभाग कार्यालय क्र. ०६
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रत माहितीस्तव :-

१) मा. आयुक्त सो.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

२) मा. शहर अभियंता
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

३) मा. उपायुक्त (माहिती व जनसंपर्क)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

स्व.इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.)
ता.जि.ठाणे-४०१ १०१, दुरध्वनी क्र.०२२-२८१९२८२८, Email :- pro@mbmc.gov.in

माहिती व जनसंपर्क विभाग

जा.क्र.मनपा/मावज/खुला./ ४२/२०२६-२७ दि. २५/ ०५/२०२६

प्रति,
1) सहा. आयुक्त, अतिक्रमण विभाग,
2) प्रभाग अधिकारी, प्रभाग समिती क्र. ६.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- वृत्तपत्रांत प्रसिध्द झालेल्या बातमी/ बातम्यांचा खुलासा सादर करणेबाबत.

संदर्भिय विषयाच्या अनुशंगाने आपल्या विभागाच्या कामकाजाविरुध्द खालील वृत्तपत्रामध्ये बातमी / बातम्या प्रसिध्द झालेल्या आहेत. ज्यामुळे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे दिसुन येत आहे.

अ.क्र.	वृत्तपत्रांचे नाव	दिनांक
१.	साप्ता. थाने की आवाज	23/05/26
२.		
३.		
४.		
५.		

तरी संबंधित बातमी / बातम्यांची योग्य ती दखल घेऊन त्याचे खंडन अथवा वस्तुस्थिती दर्शक खुलासा मा. आयुक्त सो. यांचे मान्यतेसह संबंधित वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेकरिता आवश्यक कागदपत्रांसह कृपया त्वरीत त्याच दिवशी दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत उपलब्ध करुन दयावा हि विनंती.

राजकुमार घरत
माहिती व जनसंपर्क अधिकारी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सोबत वृत्तपत्रातील प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या छायांकित प्रत / प्रती जोडल्या आहेत.

प्रत माहितीस्तव :

1) मा.आयुक्त सो.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका
2) मा. अतिरिक्त सो.(१ व २)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका
३) मा. शहर अभियंता
मिरा भाईंदर महानगरपालिका
४) मा.उपायुक्त (माहिती व जनसंपर्क)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Scanned with OKEN Scanner

R.N.I. No. - MAHHIN/20840/2007
Postal reg. No. PLG/63/2023-2025
Posted by Bhayandar West Post Office

साप्ताहिक

थाने की आवाज

कलम के सिपाही अगर सो गये तो, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे।
अगर माली पर रखा ना ध्यान, तो एक दिन ये सारा चमन बेच देंगे।।

वर्ष : २० ● अंक : ७ ● २३ से २९ मई २०२६ ● संपादक : कमल दाधीच ● पृष्ठ - ८ ● मुल्य : ५ रुपया

मुख्यमंत्री को कौन कर रहा गुमराह ?

मैंग्रोव बफर जोन में ४० आरसीसी कमरों का अवैध निर्माण !

राजनीतिक दबाव के कारण तोड़क कार्रवाई रुकी

जतिन दाधीच/ भाईंदर

पिछले सप्ताह थाने की आवाज समाचार पत्र में "महापौर की जीरो टॉलरेंस नीति ठंडे बस्ते में" शीर्षक से एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित होने के उपरांत, शहर में हो रहे अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रशासन ने कठोर रुख अपनाया है। उक्त समाचार का संज्ञान लेते हुए, महापौर डिंपल मेहता ने अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

इसी निर्देश के अनुपालन में, १८ मई को मनपा आयुक्त ने एक विशेष अतिक्रमण विरोधी दस्ते का गठन किया। इस दस्ते के तहत महानगरपालिका के दोनों अतिरिक्त आयुक्तों को तीन-तीन प्रभाग समितियों के कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई।

तदनुसार, १९ मई को प्रभाग समिति क्रमांक ६ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चेना गांव स्थित घोड़बंदर रोड के बाईं ओर बफर जोन में मैंग्रोव्स को नष्ट कर बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने जब खुद अतिरिक्त मनपा आयुक्त प्रियंका राजपूत प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, तो उन्हें भारी राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटनाक्रम के दौरान स्थल पर मौजूद एक स्थानीय नेता के निजी सहायक ने संबंधित राजनेता से संपर्क साधा और अपना फोन अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत को सौंप दिया। बातचीत के दौरान नेता द्वारा कथित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया गया।

जब अतिरिक्त आयुक्त ने उन्हें पर्यावरण कानूनों और बफर जोन के उल्लंघनों से अवगत कराया, तो नेता ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, कल "मैं भी एक पत्र सौंपूंगा, फिर आपको हर उस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना होगा"।

विवादित भूमि चेना गाव के सर्वे नंबर १२/२ और १३/२-१ के अंतर्गत आती है, जो मूल रूप से घने मैंग्रोव वनों से घिरी हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में भू-माफियाओं द्वारा उक्त भूमि पर धड़ल्ले से मलबा और मिट्टी डंप की गई। इस सुनियोजित डंपिंग के कारण प्राकृतिक रूप से संरक्षित मैंग्रोव पूरी तरह नष्ट हो गए।

राजस्व विभाग द्वारा किए गए आधिकारिक पंचनामे, स्थानीय नागरिकों की निरंतर शिकायतों और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद यह अवैध गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहीं। मैंग्रोव्स पर डंपिंग के माध्यम से जब एक विशाल भूखंड तैयार हो गया, तो उस पर नियमों को ताक पर रखकर सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) की स्थायी संरचनाओं का अवैध निर्माण शुरु कर दिया गया।

चूंकि यह भूमि निजी स्वामित्व के अधीन है, इसलिए, शिकायत प्राप्त होने पर वन विभाग ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके अतिरिक्त, एमबीएमसी वार्ड समिति क्रमांक ६ की तत्कालीन वार्ड अधिकारी कांचन गायकवाड़ ने भी संबंधित पक्षों को वैधानिक नोटिस जारी कर निर्माण की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे थे, परंतु इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।

एमबीएमसी के बीट इंस्पेक्टर की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्थल पर लगभग ३० से ४० अनाधिकृत ग्राउंड-प्लस-वन (आरसीसी) मकान निर्मित किए जा चुके है।

इस मामले में राजनीतिक-प्रशासनिक सांठगांठ का खुलासा तब हुआ जब अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत दलबल के साथ डिमोलिशन के लिए मौके पर पहुंची थी, जहां राजनीतिक दबाव के कारण एमबीएमसी कमिश्नर राधाविनोद शर्मा के निर्देश पर टीम को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा।

प्रशासनिक कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने के उद्देश्य से संबंधित राजनेता ने कथित तौर पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए स्थानीय आदिवासियों के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक भ्रामक ज्ञापन सौंपा।

इस पत्र में यह दावा किया गया कि उक्त भूमि उनकी पैतृक कृषि भूमि है और परिवारों के विस्तार के कारण वे नगर पालिका के नियमों की अज्ञानतावश केवल अस्थायी मकान (कच्चे घर) बना रहे थे। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मानवीय आधार पर तोड़क कार्रवाई रोकने और निर्माण को आधिकारिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया था।

हालांकि, स्वतंत्र तकनीकी जांच और राजस्व विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों ने इस दावे की पोल खोल दी है। सैटेलाइट तस्वीरें और सरकारी दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि जहां खेती का दावा किया जा रहा है, वहां पहले घना मैंग्रोव वन था जिसे अवैध रूप से पाट दिया गया। इसके अलावा, जिन्हें पत्र में अस्थायी मकान बताया गया है, वो वास्तव में ४० पक्के (आरसीसी) मकान है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमबीएमसी कमिश्नर को तत्काल एक विस्तृत वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति रिपोर्ट भेजने की पुष्टि कमिश्नर ने नहीं की।

स्थानीय पर्यावरणविदों और एक्टिविस्ट का मानना है कि इन महंगे आरसीसी ढांचों के निर्माण में लगे वित्तीय स्रोतों की यदि किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो इस बड़े पर्यावरणीय विनाश के पीछे सक्रिय मुख्य राजनीतिक चेहरों और उनके आर्थिक हितों का पर्दाफाश होना निश्चित है।

Scanned with OKEN Scanner

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

स्व.इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, मुख्य कार्यालय, भाईंदर (प.)
ता.जि.ठाणे-४०१ १०१, दुरध्वनी क्र.०२२-२८१९२८२८, Email :- pro@mbmc.gov.in

माहिती व जनसंपर्क विभाग

जा.क्र.मनपा/मावज/ ४४ /२०२६-२७ दि.०७ /०६ /२०२६

प्रति,

१) सहा. आयुक्त, अतिक्रमण विभाग

२) प्रभाग अधिकारी प्रभाग समिती क्र. ६

मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- वृत्तपत्रांत प्रसिध्द झालेल्या बातमी/ बातम्यांचा खुलाससा सादर करणेबाबत.
संदर्भ :- जा.क्र.मनपा/मावज/४२/२०२६-२७, दि.२५/०५/२०२६ रोजीचा खुलासा.

संदर्भिय विषयाच्या अनुशंगाने आपल्या विभागाच्या कामकाजाविरुध्द खालील वृत्तपत्रामध्ये बातमी / बातम्या प्रसिध्द झालेल्या आहेत. ज्यामुळे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे दिसुन येत आहे.

अ.क्र.	वृत्तपत्रांचे नाव	दिनांक
१.	सच्चा शोने की आवाज	०७/०६/२०२६
२.		
३.		
४.		

तसेच संदर्भिय पत्रान्वये आपणास नकारात्मक बातमीचा खुलासा मागविला असता अजुन प्राप्त् झाला नाही. तरी संबंधित बातमी / बातम्यांची योग्य ती दखल घेऊन त्याचे खंडन अथवा वस्तुस्थिती दर्शक खुलासा मा. आयुक्त सो. यांचे मान्यतेसह संबंधित वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेकरिता आवश्यक कागदपत्रांसह कृपया त्वरीत त्याच दिवशी दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत उपलब्ध करुन दयावा हि विनंती.

राजकुमार घरत
माहिती व जनसंपर्क अधिकारी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

सोबत वृतपत्रातील प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांच्या छायांकित प्रत / प्रती जोडल्या आहेत.

प्रत माहितीस्तव :

1) मा.आयुक्त सो.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका
2) मा. अतिरिक्त सो.(१,२)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका
3) मा. उपआयुक्त सो. (माहिती व जनसंपर्क)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका
४) मा. शहर अभियंता
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Scanned with OKEN Scanner

मीरा-भाईंदर में बीजेपी लाचार

महापौर और विधायक के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे मनपा अधिकारी !

मुख्यमंत्री ने दिए तत्काल कारवाई के निर्देश

जतिन दाधीच /भायंदर

केंद्र, राज्य और मनपा में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद मीरा भाईंदर महानगरपालिका के अधिकारियों के आगे बीजेपी लाचार नजर आ रही है। अवैध निर्माणों के खिलाफ महापौर की जीरो टॉलरेंस नीति समेत विधायक के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के अधिकारियों ने यह साबित कर दिया है कि इन दोनों के आदेशों का कोई महत्व नहीं है। घोडबंदर रोड स्थित चेना गांव के मैंग्रोव बफर जोन में बनाए गए ४० पक्के आरसीसी कमरों के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सख्त हिदायत और मैंग्रोव्स बफर जोन के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, धरातल पर मनपा अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस तोड़ू कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की यह सुस्ती यहीं नहीं थमी है, बल्कि जीपीएस तस्वीरों के साथ उजागर हुए अन्य नए अवैध निर्माणों पर भी स्थानीय वार्ड अधिकारी पूरी तरह आंखें मूंदे बैठे हैं। पिछले दिनों इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एमबीएमसी कमिश्नर को तत्काल एक विस्तृत वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद हरकत में आए महानगरपालिका प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी है।

इस आधिकारिक रिपोर्ट ने घोड़बंदर रोड पर मैंग्रोव बफर जोन में हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में खुद मनपा अधिकारियों ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि (चेना गांव के सर्वे नंबर १२/२ और १३/२-१) मूल रूप से नो डेवलपमेंट जोन में और मैंग्रोव क्षेत्र में मौजूद है। CRZ I A अंतर्गत आने वाली यह जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी अनुमति के लगभग ४० से अधिक अनाधिकृत आरसीसी कमरे (ग्राउंड-प्लस-वन) खड़े कर दिए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों और राजस्व विभाग के पंचनामे से भी यह साफ हो चुका है कि यह पूरा इलाका मैंग्रोव बफर जोन के अंतर्गत आता है।

इसी बीच, मामले में एक नया मोड़ तब आया जब बीते मंगलवार को एक स्थानीय निवासी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पूरे घालमेल से जुड़ी लिखित शिकायत सौंपी। एमबीएमसी की रिपोर्ट और इस ताजा शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित उच्च अधिकारियों को इस अवैध निर्माण के खिलाफ 'तत्काल और निर्णायक कार्रवाई' करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता ने भी सक्रियता दिखाते हुए महानगरपालिका कमिश्नर को मुख्यमंत्री के इन सख्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराया है और जल्द से जल्द इस अवैध साम्राज्य को जमींदोज करने को कहा है। चेना गांव के अलावा, प्रभाग समिती क्रमांक ६ के कार्यक्षेत्र में कुछ और बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध निर्माणों का भंडाफोड़ हुआ है, जिसकी खबरें जीपीएस लोकेशन वाली तस्वीरों के साथ प्रकाशित की गई थीं। इन पुख्ता सबूतों के सामने आने के बाद, महापौर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित वार्ड अधिकारी को उस अनाधिकृत निर्माण को तुरंत ध्वस्त करने के कड़े आदेश जारी किए थे। लेकिन, महापौर के आदेश को ठेंगे पर रखना जैसे वार्ड अधिकारियों की आदत बन चुकी है।

पिछले बुधवार को विधायक नरेंद्र मेहता के जनता दरबार में जागरूक नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई कि महापौर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित वार्ड अधिकारी ने मौके पर एक हथौड़ा तक नहीं चलाया। शिकायत मिलते ही विधायक नरेंद्र मेहता ने संबंधित वार्ड अधिकारी को आड़े हाथों लिया और उक्त अवैध निर्माण को तुरंत जमींदोज करने के सख्त निर्देश दिए। इस पर कार्रवाई का नाटक करते हुए वार्ड अधिकारी ने विधायक को आश्वस्त किया था कि अगले ही दिन यानी गुरुवार को हर हाल में डिमोलिशन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अफसोस, हमेशा की तरह यह वार्ड अधिकारी का यह वादा भी बेकार साबित हुआ और गुरुवार बीत जाने के बाद भी शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक वार्ड अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे भू-माफियाओं को वार्ड अधिकारी का वरदहस्त होने की बात फिर साबित होती है।

प्रशासन की इस खुली नाफरमानी ने अब सीधे महापौर की साख को दांव पर लगा दिया है। याद दिला दें कि महापौर ने पदभार संभालने के बाद मनपा अधिकारियों के साथ अपनी पहली ही बैठक में गरजते हुए कहा था कि, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण देता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। सभी वार्ड अधिकारियों के लिए अपने-अपने वार्ड की सीमा में कोई अवैध निर्माण न होने की स्व-प्रमाणित साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य किया गया था। महापौर ने स्पष्ट घोषणा की थी कि यदि किसी भी वार्ड में अवैध निर्माण पाया जाता है, तो संबंधित वार्ड अधिकारी को निलंबित करने का प्रस्ताव महानगरपालिका की आम सभा में पारित किया जाएगा।

अब जब चेना गांव और दिल्ली दरबार होटल के पीछे हुए अवैध निर्माणों के रूप में वार्ड अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत सबके सामने आ चुकी है, तो पूरी जनता की नजरें महापौर पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि, क्या महापौर अब सच में अपने शब्दों के मुताबिक आगामी आम सभा में इन लापरवाह और भ्रष्ट वार्ड अधिकारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में लाएंगी ? या फिर उनका यह कड़ा रुख और सस्पेंशन की चेतावनी महज एक लोक-लुभावन बयानबाजी और राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner